

जो ग्राम - बरगाछा के वहीना नगर सं. 271 में छापी का नाम रामकाल पुत्र रामखण्ड
 है - सारी जमीने नाम. से गलत दर्ज के गमा डे परन्तु छापी का सही नाम अन्य दस्तावेजों
 बापकिशन पुत्र रामखण्ड दर्ज है। उक्त अन्य नगर नं. 61 में भी सही नाम दर्ज है अतः
 जमा सं. 271 में छापी का नाम समस्त रामकिशन पुत्र रामखण्ड दर्ज किया जाना उचित
 होगा।

Binu
 3/10/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

मुताबक हल्का पटवारी रिपोर्टनुसार व संलग्न दस्तावेजों
 के अनुसार जमका कुवस्त है

03/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबक रिपोर्ट पच्चारी एवं 2 LR मवायततावेज

शिविर प्रभारी

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक / 340

दिनांक: - 10-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्..... के खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	प्रकरण में इन्द्राज होने में कारण जाल है			दुरुस्ती सिद्ध नहीं प्रकरण स्वार्थि किया		

क्रमांक: - 330/2

दिनांक: - 10/10/25

- प्रतिनिधि: - 1. तहसीलदार नसीराबाद
 2. उपस्थित जमाबंदी

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर

